

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 698 / 07

संस्थित दि.: 30 / 11 / 07

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोगी

विरुद्ध

1. इम्मू उर्फ मैन्यूअल सिंह मरकाम पिता लालसिंह, उम्र 45 साल,
निवासी मिशन कम्पाउण्ड बैहर थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. करिया उर्फ राकेश परते पिता रमेश परते, उम्र 24 साल, जाति गोंड,
निवासी सियारपाट मुंशीटोला वार्ड नं. 13 बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)(मृत)
3. अजीत कुमार पिता दिलीप, उम्र 34 साल, जाति गोंड,
निवासी मिशन कम्पाउण्ड बैहर थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. संतोष कुमार गुप्ता पिता मेहतरलाल गुप्ता, उम्र 31 साल, जाति बनिया,
निवासी मरारीटोला बिरसा थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. राजेन्द्र वर्मा पिता गोकुल प्रसाद, उम्र 30 साल, जाति कुर्मी,
निवासी 148 एन.एक्स विष्णुपुरी इन्दौर थाना भवंरकुआ इन्दौर,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

- - - - - आरोपीगण

- :: **निर्णय** :: -

(आज दिनांक 01/12/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल एवं आरोपी अजीत कुमार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380/34 तथा आरोपी संतोष व राजेन्द्र पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 का आरोप है कि आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल व आरोपी अजीत कुमार ने दिनांक अगस्त 07 को दिनांक 22-23 की दरम्यानी रात सिविल लाईन बैहर थानान्तर्गत बैहर में फरियादी शंकरलाल की परछी में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया व फरियादी शंकरलाल की सुजुकी

मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की तथा आरोपी संतोष एवं राजेन्द्र ने चोरी की गई सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 22-ई.3197 को यह जानते हुये कि उक्त मोटरसाईकिल चुराई हुई सम्पत्ति है फिर भी उसे बेईमानी से प्राप्त किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी शंकरलाल ने आरक्षी केन्द्र बैहर में दिनांक 25.08.2007 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22.08.2007 को रात्रि के 10:00 बजे उसने उसकी मोटरसाईकिल टी.व्ही.एस.मेक्स 100 को खुली परछी में खड़ी किया था और सुबह उठकर देखा तो करीब 05:00 बजे उसे उसकी मोटरसाईकिल नहीं दिखी। आसपास पता लगाने पर भी मोटरसाईकिल का कुछ भी पता नहीं चला। मोटरसाईकिल चोरी हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से आज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 77/07 अन्तर्गत धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया कि मोटरसाईकिल टी.व्ही.एस.मेक्स 100 को आरोपी इन्मू उर्फ मैन्यूअल, करिया उर्फ राकेश, अजीत कुमार ने चुराकर बेचने के लिये आरोपी संतोष कुमार गुप्ता एवं राजेन्द्र वर्मा को बेचने के लिये दे दी। विवेचना के आधार पर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 411, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

(03) आरोपी इन्मू उर्फ मैन्यूअल व आरोपी अजीत कुमार को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380/34 तथा आरोपी संतोष व राजेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने थाने में झूठी रिपोर्ट लिखाई और रंजिश वश उन्हें झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी इन्मू उर्फ मैन्यूअल व आरोपी अजीत कुमार ने दिनांक अगस्त 07 को दिनांक

22-23 की दरम्यानी रात सिविल लाईन बैहर थानान्तर्गत बैहर में फरियादी शंकरलाल की परछी में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

(2) क्या आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल व आरोपी अजीत कुमार ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर एक राय होकर फरियादी शंकरलाल की सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की ?

(3) क्या आरोपी संतोष एवं राजेन्द्र ने इसी दिनांक व समय में चोरी की गई सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 को यह जानते हुये कि उक्त मोटरसाईकिल चुराई हुई सम्पत्ति है फिर भी उसे बेईमानी से प्राप्त किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2 व 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी शंकरलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना 22.08.2007 को रात्रि के 10:00 बजे उसने मोटरसाईकिल उसके घर की खुली परछी में खड़ी करके सो गया था। सुबह उठकर देखा तो मोटरसाईकिल उसकी परछी में नहीं दिखी आसपास पता लगाया लेकिन मोटरसाईकिल नहीं मिली। घटना रिपोर्ट थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसके सामने घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-02 है। आरोपी अजीत ने गाड़ी कहा रखी है इस संबंध में पुलिस को उसके सामने कोई जानकारी नहीं दी थी, किन्तु मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष कोई तलाशी की

कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी अजीत ने उसके सामने राकेश, मैन्यूअल के साथ मिलकर उसके घर से चोरी की और मोटरसाईकिल बेचने के लिये संतोष, राजेन्द्र को दे दी तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रवि मिश्रा (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 24.08.2007 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी शंकरलाल मर्सकोले की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 44/07 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। गवाह शंकरलाल, शक्तिलाल वर्मा, नेतलाल शरणागत, प्रेमकुमार मरकाम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 25.09.2007 को आरोपी मैन्यूअल मरकाम एवं आरोपी राकेश का मेमोरेण्डम लेख किया था, जो प्रदर्श पी-07 व 08 है व दिनांक 09.11.2007 को आरोपी अजीत का मेमोरेण्डम कथन लिया था व मेमोरेण्डम पर से तलाशी पंचनामा तैयार किया, मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-03 है एवं तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04 है। मोटरसाईकिल खटिया थाना से जप्त की व दस्तावेज प्राप्त किये थे। दिनांक 25.09.2007 को आरोपी मैन्यूअल व राकेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 व 10 तैयार किया था व दिनांक 9.11.2007 को आरोपी अजीत कुमार तथा दिनांक 20.11.2007 को आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 एवं 11 तैयार किया था। दिनांक 22.11.2007 को आरोपी राजेन्द्र वर्मा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मनोज त्रिपाठी (अ.सा. 9) का कहना है कि दिनांक 17.09.2007 को आनंद प्रसाद दुबे ने गवाहों के समक्ष एक मोटरसाईकिल मेक्स 100 सुजुकी जप्त की थी। थाना वापसी पर आनंद प्रसाद दुबे ने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 346 पर वापसी दर्ज की थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी आनंद प्रसाद दुबे (अ.सा. 10) का कहना है कि उसने दिनांक 17.09.2007 को थाना खटिया में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये रोजनामचा सान्हा क्रमांक 346 के आधार पर घटनास्थल घंघारी नाला में जाकर एक

मोटरसाईकिल मेक्स 100 सुजुकी क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 जिस पर पीले रंग से लिखा हुआ था गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 तैयार किया था।

(09) किन्तु अभियोजन साक्षी छक्कीलाल वर्मा (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो साल पुरानी है। उसके घर पर आकर फरियादी ने उसे गाड़ी चोरी हो जाने के संबंध में बताया था। उसके सामने आरोपी अजीत से गाड़ी की चोरी की संबंध में पुलिस ने कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये थे, किन्तु मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष गाड़ी की कोई तलाशी की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तारी नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी अजीत ने आरोपी करिया उर्फ राकेश एवं आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल के साथ मिलकर शंकरलाल के घर से चोरी की थी और मोटरसाईकिल बेचने के लिये संतोष, राजेन्द्र को दी तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-03, 04 एवं 05 पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

(10) अभियोजन साक्षी मीत मिश्रा उर्फ शशांक (अ.सा. 3) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा पुलिस को कथन देने से भी इन्कार किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रेमसिंह (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही कोई मेमोरेण्डम कथन लिये गये तथा न ही कोई गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-07 एवं 08 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 एवं 10 पर उसने कोरे पर हस्ताक्षर किये थे।

(11) अभियोजन साक्षी पूनमसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके समक्ष आरोपी मैन्यूअल एवं राकेश ने कोई मेमोरेण्डम कथन

नहीं दिये थे और न ही आरोपी मैन्सूअल एवं राकेश को गिरफ्तार किया गया था, किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-07 एवं 08 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 एवं 10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी अजीत ने करिया उर्फ राकेश एवं आरोपी इम्सू उर्फ मैन्सूअल के साथ मिलकर शंकरलाल के घर से चोरी की थी और मोटरसाइकिल बेचने के लिये संतोष, राजेन्द्र को दी तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-07 से लगायत 10 पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

(12) अभियोजन साक्षी अनिल दुबे (अ.सा. 5) का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 पर हस्ताक्षर किये थे उस समय कागज कोरा था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजेन्द्र उइके (अ.सा. 8) का कहना है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने जब जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 पर हस्ताक्षर किये थे उस समय जप्ती पत्रक कोरा था।

(13) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपीगण निर्दोष हैं फरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठाकरण तैयार कर झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी शंकरलाल, छक्कीलाल वर्मा, मीत मिश्रा उर्फ शशांक, प्रेमसिंह, पूनमसिंह, अनिल दुबे ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। विवेचनाकर्ता रवि मिश्रा तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(14) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी/फरियादी शंकरलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना 22.08.2007 को रात्रि के 10:00 बजे उसने मोटरसाइकिल उसके घर की खुली परछी में

खड़ी करके सो गया था। सुबह उठकर देखा तो मोटरसाईकिल उसकी परछी में नहीं दिखी आसपास पता लगाया लेकिन मोटरसाईकिल नहीं मिली। घटना रिपोर्ट थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसके सामने घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-02 है। आरोपी अजीत ने गाड़ी कहा रखी है इस संबंध में पुलिस को उसके सामने कोई जानकारी नहीं दी थी, किन्तु मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष कोई तलाशी की कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी अजीत ने उसके सामने राकेश, मैन्यूअल के साथ मिलकर उसके घर से चोरी की और मोटरसाईकिल बेचने के लिये संतोष, राजेन्द्र को दे दी तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

(16) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रवि मिश्रा (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 24.08.2007 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी शंकरलाल मर्सकोले की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 44/07 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। गवाह शंकरलाल, शक्तिलाल वर्मा, नेतलाल शरणागत, प्रेमकुमार मरकाम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 25.09.2007 को आरोपी मैन्यूअल मरकाम एवं आरोपी राकेश का मेमोरेण्डम लेख किया था, जो प्रदर्श पी-07 व 08 है व दिनांक 09.11.2007 को आरोपी अजीत का मेमोरेण्डम कथन लिया था व मेमोरेण्डम पर से तलाशी पंचनामा तैयार किया, मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-03 है एवं तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04 है। मोटरसाईकिल खटिया थाना से जप्त की व दस्तावेज प्राप्त किये थे। दिनांक 25.09.2007 को आरोपी मैन्यूअल व राकेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 व 10 तैयार किया था व दिनांक 9.11.2007 को आरोपी अजीत कुमार तथा दिनांक 20.11.2007 को आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 एवं 11 तैयार किया था। दिनांक 22.11.2007 को आरोपी राजेन्द्र वर्मा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मनोज

त्रिपाटी (अ.सा. 9) का कहना है कि दिनांक 17.09.2007 को आनंद प्रसाद दुबे ने गवाहों के समक्ष एक मोटरसाईकिल मेक्स 100 सुजुकी जप्त की थी। थाना वापसी पर आनंद प्रसाद दुबे ने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 346 पर वापसी दर्ज की थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी आनंद प्रसाद दुबे (अ.सा. 10) का कहना है कि उसने दिनांक 17.09.2007 को थाना खटिया में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये रोजनामचा सान्हा क्रमांक 346 के आधार पर घटनास्थल घंघारी नाला में जाकर एक मोटरसाईकिल मेक्स 100 सुजुकी क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 जिस पर पीले रंग से लिखा हुआ था गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 तैयार किया था।

(17) किन्तु अभियोजन साक्षी छक्कीलाल वर्मा (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो साल पुरानी है। उसके घर पर आकर फरियादी ने उसे गाड़ी चोरी हो जाने के संबंध में बताया था। उसके सामने आरोपी अजीत से गाड़ी की चोरी की संबंध में पुलिस ने कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये थे, किन्तु मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष गाड़ी की कोई तलाशी की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तारी नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी अजीत ने आरोपी करिया उर्फ राकेश एवं आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल के साथ मिलकर शंकरलाल के घर से चोरी की थी और मोटरसाईकिल बेचने के लिये संतोष, राजेन्द्र को दी तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-03, 04 एवं 05 पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

(18) अभियोजन साक्षी मीत मिश्रा उर्फ शशांक (अ.सा. 3) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा पुलिस को कथन देने से भी इन्कार किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रेमसिंह (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही कोई मेमोरेण्डम कथन लिये गये तथा न ही कोई गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी द

घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-07 एवं 08 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 एवं 10 पर उसने कोरे पर हस्ताक्षर किये थे।

(19) अभियोजन साक्षी पूनमसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके समक्ष आरोपी मैन्यूअल एवं राकेश ने कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं दिये थे और न ही आरोपी मैन्यूअल एवं राकेश को गिरफ्तार किया गया था, किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-07 एवं 08 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 एवं 10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी अजीत ने करिया उर्फ राकेश एवं आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल के साथ मिलकर शंकरलाल के घर से चोरी की थी और मोटरसाईकिल बेचने के लिये संतोष, राजेन्द्र को दी तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-07 से लगायत 10 पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

(20) अभियोजन साक्षी अनिल दुबे (अ.सा. 5) का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 पर हस्ताक्षर किये थे उस समय कागज कोरा था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजेन्द्र उइके (अ.सा. 8) का कहना है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने जब जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 पर हस्ताक्षर किये थे उस समय जप्ती पत्रक कोरा था।

(21) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी शंकरलाल, छक्कीलाल वर्मा, मीत मिश्रा उर्फ शशांक, प्रेमसिंह, पूनमसिंह, अनिल दुबे के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी शंकरलाल, छक्कीलाल वर्मा, मीत मिश्रा उर्फ शशांक, प्रेमसिंह, पूनमसिंह, अनिल दुबे के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने

अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल व आरोपी अजीत कुमार ने दिनांक अगस्त 07 को दिनांक 22-23 की दरम्यानी रात सिविल लाईन बैहर थानान्तर्गत बैहर में फरियादी शंकरलाल की परछी में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया व फरियादी शंकरलाल की सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की तथा आरोपी संतोष एवं राजेन्द्र ने चोरी की गई सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 22-ई.3197 को यह जानते हुये कि उक्त मोटरसाईकिल चुराई हुई सम्पत्ति है फिर भी उसे बेईमानी से प्राप्त किया या रखा। साक्षियों के कथनों से यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है कि आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल व आरोपी अजीत कुमार ने दिनांक अगस्त 07 को दिनांक 22-23 की दरम्यानी रात सिविल लाईन बैहर थानान्तर्गत बैहर में फरियादी शंकरलाल की परछी में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया व फरियादी शंकरलाल की सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की तथा आरोपी संतोष एवं राजेन्द्र ने चोरी की गई सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 22-ई.3197 को यह जानते हुये कि उक्त मोटरसाईकिल चुराई हुई सम्पत्ति है फिर भी उसे बेईमानी से प्राप्त किया।

(22) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल व आरोपी अजीत कुमार ने दिनांक अगस्त 07 को दिनांक 22-23 की दरम्यानी रात सिविल लाईन बैहर थानान्तर्गत बैहर में फरियादी शंकरलाल की परछी में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया व फरियादी शंकरलाल की सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की तथा आरोपी संतोष एवं राजेन्द्र ने चोरी की गई सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.22-ई.3197 को यह जानते हुये कि उक्त मोटरसाईकिल चुराई हुई सम्पत्ति है फिर भी उसे बेईमानी से प्राप्त किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना

उचित प्रतीत होता है।

(23) परिणाम स्वरूप आरोपी इम्मू उर्फ मैन्यूअल एवं आरोपी अजीत कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 / 34 तथा आरोपी संतोष कुमार एवं राजेन्द्र वर्मा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(24) प्रकरण में आरोपीगण जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(25) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 22-ई.3197 सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)